APP-A
Crime-I

FROM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम रैणी ....
प्रहलाद मीना .... बनाम ग्राम पंचायत बहड़को कला ....
.... नं.................... सन् ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आज यह अपील प्रा० पत्र श्री सुनिल शर्मा Adv. द्वारा अन्तर्गत धारा 75 R.T act द्वारा पेश किया गया। प्रा० पत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 01/11/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला- अलवर	
25/11/21 आज यह पत्रावली [illegible] से राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ...बहड़कोमला... में दिनांक 30/11/21 को पेश होने वास्ते तलब होकर पेश हुई। पक्षकारान को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत बहड़कोमला में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 30/11/21 को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत बहड़कोमला में पेश हों। उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर	
30/11/21 आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बहड़कोमला में पेश हुई। मुताबिक रिपोर्ट ग्राम पंचायत बहड़कोमला के प्रार्थना पत्र अपील धारा 75 RT Act स्वीकार किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णीत होकर रजिस्टर से कम की जाकर बाद मुर्त्तिब दाखिल दफ्तर हो। पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 : कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बहड़कोमला उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)	नकल दिया प्रहलाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंहल आर0ए0एस0

ल संख्या 12/32/2021

ह्हलाद मीना पुत्र श्री किशन लाल मीना जाति मीना साकिन आमाला तहसील रैणी
किलाण मीना पुत्र श्री मूल्या मीना जाति मीना साकिन आमाला तहसील रैणी
मोटा देवी पुत्री श्री मूल्या मीना जाति मीना साकिन आमाला तहसील रैणी
मगनी देवी पुत्री श्री मूल्या मीना जाति मीना साकिन आमाला तहसील रैणी
काली देवी पत्नि बहादुर मीना जाति मीना साकिन आमाला तहसील रैणी
राहुल मीना पुत्र बहादुर मीना जाति मीना साकिन आमाला तहसील रैणी
करीना मीना पुत्री बहादुर मीना जाति मीना साकिन आमाला तहसील रैणी
रवीना मीना पुत्री बहादुर मीना जाति मीना साकिन आमाला तहसील रैणी

------------अपीलान्ट

बनाम

. ग्राम पंचायत बहडको कला तहसील रैणी जरिये सरपंच
. ओमप्रकाश मीना पुत्र किशन लाल उर्फ किशना मीना ग्राम आमाला तहसील रैणी
3. नारायणी देवी पत्नि किशन लाल उर्फ किशना मीना ग्राम आमाला तहसील रैणी
4. भीखाराम मीना पुत्र किशन लाल उर्फ किशना मीना ग्राम आमाला तहसील रैणी
5. सेमोती देवी पत्नि सियाराम मीना ग्राम आमाला तहसील रैणी
6. अजय कुमार पुत्र सियाराम मीना ग्राम आमाला तहसील रैणी
7. संजय कुमार पुत्र सियाराम मीना ग्राम आमाला तहसील रैणी

-----------रेस्पोडैन्ट

अपील निर्णय दिनांक 15/08/2007 इन्तकाल संख्या 817, 818 ग्राम पंचायत बहडको कलां पंचायत समिति रैणी

निर्णय दिनांक–30/11/2021

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतू पेश हुई । अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में अपील निर्णय दिनांक 15/08/2007 इन्तकाल संख्या 817, 818 ग्राम पंचायत बहडको कलां पंचायत समिति रैणी बाबत पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट 1 व 2 के पिता व पति किशनलाल व अपीलान्ट 3 से 9 के पति , पिता , ससुर व दादा मूल्या सगे भाई थे। जिनकी खातेदारी की आराजी खसरा न0 951/0.18, 952/0.21, 950/0.09 वाकै ग्राम अमाला तहसील रैणी में स्थित है उक्त आराजी में किशनलाल व मूल्या समान भाग के खातेदार थे। यह है कि अपीलान्ट के बुजुर्ग किशनलाल का स्वर्गवास दिनांक 19/01/2013 को व मूल्या का स्वर्गवास दिनांक 13/08/2014 को हो चुका है मृतक किशन लाल व मूल्या की खातेदारी की अन्य आराजी खाता संख्या 20 खसरा न0 1669, 1675, 1676, 1677, 1705, 1721, 1722 वाकै ग्राम आमाला का इन्तकाल संख्या 186, व 176 अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज हो चुका है । यह है कि रेस्पोडैन्ट संख्या 2 से 7 द्वारा रेस्पोडैन्ट संख्या 1 से मिलकर किशनलाल व मूल्या की विरासत का इन्तकाल संख्या 817 व 818 उनके जीवित रहते हुए ही उन्हें मृत दिखाकर दिनांक 15/08/2007 को अपने पक्ष में दर्ज व स्वीकार करा लिया जो कार्यवाही गलत है तथा किशनलाल व मूल्या के रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 वारिस भी नहीं है। इस प्रकार गलत

के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज अपीलान्ट के विरूद्ध रहने से उनके
। अधिकार प्रभावित हो रहे है इस गलत इन्तकाल की कार्यवाही के दौरान अपीलान्ट
डिन्ट संख्या 1 द्वारा सूचित भी नही किया गया इसलिए उक्त इन्तकाल की कार्यवाही
निरस्त योग्य है। यह है कि अपील मियाद बाहर होने के कारण समय कण्डोन कराने
रा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया अपील न्यायालय श्रीमान के
कार में है अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 15/08/2007
ल संख्या 817, 818 ग्राम पंचायत बहडको कलां पंचायत समिति रैणी द्वारा जो रेस्पोडैन्ट
2 लगा0 7 के पक्ष में दर्ज किया है उसे निरस्त करते हुए आराजी खसरा न0 951/0.
52/0.21, 950/0.09 वाकै ग्राम अमाला तहसील रैणी का किशनलाल व मूल्या की
त का इन्तकाल अपीलान्ट के पक्ष में खोले जाने का निवेदन किया।

आज पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बहडको कलां
पीलान्ट व रेस्पोडैन्ट के निवेदन पर पेश हुई रेस्पोडैन्ट संख्या 2 ,4, 5, 6, 7, उपस्थित
उनके द्वारा एक लिखित में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित
जी का किशनलाल व मूल्या की विरासत का नामान्तकरण संख्या 817 व 818 हमारे नाम
। दर्ज हो गया है इसलिए हम प्रार्थीगण का नाम जो गलत इन्तकालों के आधार पर
दारी मे दर्ज हुआ है उसे हटा दिया जावे तो हमें कोई वर्तमान व भविष्य में ऐतराज नहीं
था रेस्पोडैन्ट संख्या 3 नारायणी की मृत्यु होना भी अंकित किया तथा नारायणी के वारिस
ार्थीगण ही होना प्रार्थना पत्र में अंकित किया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नकल इन्तकाल
ा 818, 817, जमाबन्दी सम्वत 2062 से 65 , 66 से 69 . इन्तकाल संख्या 176, 185,
बन्दी हाल खाता संख्या 103, 20, व मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 20/08/2014,
/01/2013 का भी अवलोकन व निरीक्षण किया । अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज
रेस्पोडैन्ट संख्या 2, 4 से 7 की ओर से प्रस्तुत सहमति प्रार्थना पत्र से अपील अपीलान्ट
ही होने की पुष्टि होती है। तथा रेस्पोडैन्ट संख्या 2 व 4 से 7 की ओर से प्रस्तुत सहमति
र्थना पत्र के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाई जाती है। अतः

आदेश है कि

अपील अपीलान्ट हाल आराजी खसरा न0 951/0.18, 952/0.21, 950/0.09 वाकै ग्राम अमाला तहसील रैणी स्वीकार की जाती है इन्तकाल संख्या 817 व 818 निर्णय दिनांक 15/08/2007 ग्राम पंचायत बहडको कलां पंचायत समिति रैणी की कार्यवाही निरस्त करते हुए तहसीलदार रैणी को पुनः प्रकरण इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वो आराजी विवादित बाबत बाद जॉच नियम अनुसार मृतक किशनलाल व मूल्या के सही वारिसों की जॉच कर विरासत का इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय प्रति तहसीलदार रैणी को पालनार्थ भिजवायी जावे ।

निर्णय आज दिनांक 30/11/2021 को लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बहडको कलां पंचायत समिति रैणी पर सुनाया गया।

30.11.21

अनिल कुमार सिंहल

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी रैणी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला

———x———x———x

क्रमांक: राजस्व/22/68

दिनांक

प्रतिलिपि :—

1. तहसीलदार रैणी को पास भेजकर लेख है मुताबिक निर्णय दिनांक 30.11.2021 की पालना कर पालना रिपोर्ट कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करें।

उपखण्ड अधिकारी
रैणी जिला- अलवर